

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जयपुर)

क्रमांक: एफ.18(245)/निजभूसं/पीएमकेएसवाई/2022-23/1083-1128

दिनांक :- 15/06/22

परिपत्र

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलग्रहण विकास घटक) 2.0 की स्वीकृत परियोजनाओं में फ्लैक्सी फण्ड निर्धारण के संबंध में आदेश क्रमांक एफ.18(245)/निजभूसं/पीएमकेएसवाई/2021-22/02-4 दिनांक 01.04.2022 द्वारा आदेश जारी किये गये थे। एसएलएनए की बारहवीं बैठक दिनांक 17.05.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि योजना के आई.एण्ड सी.बी. मद में 25 प्रतिशत राशि फ्लैक्सी फण्ड के रूप में नहीं ली जावेगी। केवल जीविकोपार्जन एवं उत्पादन गतिविधि मदों में से 25 प्रतिशत राशि योजना अवधि के दौरान फ्लैक्सी फण्ड के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको कि योजना की मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार व्यय किया जायेगा।


स्वीकृत परियोजनाओं की डी.पी.आर. के निर्माण हेतु उक्त दोनों गतिविधियों में 25 प्रतिशत फ्लैक्सी फण्ड का प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित करें।

(आशीष गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक: एफ.18(245)/निजभूसं/पीएमकेएसवाई/2022-23/1083-1128
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 15/06/22

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राज. जयपुर।
5. ~~अतिरिक्त~~ निदेशक, (मुख्यालय/आईडब्ल्यूएमपी) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राज. जयपुर।
7. समस्त परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यू.सी.डी.सी को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं को उक्त आदेश की प्रति देकर अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।
8. संयुक्त निदेशक, एम.आई.ई.एस. मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर पी.एम.के.एस.वाई. 2.0 लिंक अन्तर्गत उक्त आदेश को अपलोड करने का श्रम करावें।


संयुक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी)